प्रकाशन हेतु अनुमोदित

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री राधेश्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रमांक: 838/2006

संतोष सिंह उर्फ बल्लू

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

विचाराधीन निर्णय

हस्ताक्षरित/-

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा:

मैं सहमत हूँ।

हस्ताक्षरित/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

दिनांक 17-10-2012 हेतु सूचीबध्द करें।

हस्ताक्षरित/-

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री राधेश्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रमांक 838/2006

अपीलार्थी: संतोष सिंह उर्फ बल्लू, पिता खेदुसिंह राजपूत, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी जामगाँव, चौकी देवकर, थाना साजा, जिला दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

श्रीमती सविता तिवारी, अपीलार्थी की अधिवक्ता।

श्री राजेंद्र त्रिपाठी, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से पैनल अधिवक्ता ।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत अपील

निर्णय

(दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 को पारित)

न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा के अनुसार:

1. यह अपील सत्र प्रकरण क्रमांक 4/2006 में अपर सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा, दुर्ग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31-7-2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, अभियुक्त/अपीलार्थी संतोष सिंह उर्फ बल्लू को दोषसिद्ध पाया गया है और सजाएं साथ-साथ चलाने के निर्देश के साथ निम्नलिखित रीति से दंडित किया गया है:

भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत,

आजीवन कारावास और 1,000/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है, तथा अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर, 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अंतर्गत,

2 वर्ष का सश्रम कारावास और 500/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है, तथा अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर, 1½ माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है:

मृतिका रामकुँवर उर्फ हीराबाई, अपीलार्थी की पत्नी थी। उनका विवाह घटना की तिथि से 12-13 वर्ष पूर्व हुआ था। विवाह के पश्चात, अपीलार्थी मृतिका को प्रताड़ित करता था और उसके साथ मारपीट किया करता था। इस पर, मृतिका भरत सिंह राजपूत (अ.सा.-5) के घर चली गई। खेदु सिंह अपीलार्थी के पिता हैं जो राजनांदगांव में निवास कर रहे थे। भरत सिंह राजपूत (अ.सा.-5) ने खेदु सिंह को सूचना भेजी। खेदु सिंह मृतिका को उसके मायके ले गए। अपीलार्थी मृतिका को वापस लाने के लिए उसके मायके गया। मृतिका द्वारा वापस आने से मना करने पर, उसने धमकी दी कि वह उनके बच्चों को मार डालेगा। मृतिका अपीलार्थी के साथ अपने ससुराल वापस आ गई। दिनांक 1-10-2005 को, अपीलार्थी ने मृतिका के साथ मारपीट की। अपीलार्थी ने गला घोंटकर मृतिका की हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से, उसने मृतिका के मृत शरीर को बिजली के झटके दिए। लखन सिंह (अ.सा.-2) ने थाना साजा में मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-3) दर्ज कराई। अन्वेषण अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे, पंचों को सूचित (प्रदर्श पी-1) किया और मृतिका के शव का शव-पंचनामा (प्रदर्श पी-2) तैयार किया। शव परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, साजा भेजा गया। डॉ. श्रीमती सविता मिंज ने मृतिका के शव का परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-22) दी, जिसमें उन्होंने पाया:

i. गर्दन के दाईं ओर, मैंडिबल (जबड़े) के कोण के ठीक नीचे 2X1 सेमी नीलगू ।

ii. थायराइड कार्टिलेज के नीचे मध्य रेखा पर 1.5X0.5 सेमी नीलगू ।

iii. चोट क्रमांक (ii) के पार्श्व में 2 सेमी की दूरी पर 1.8X1 सेमी नीलगू ।

iv. चोट क्रमांक (iii) के 1 सेमी नीचे 1.5X1 सेमी नीलगू ।

v. चोट क्रमांक (iv) के 1 सेमी नीचे 1.5X1 सेमी नीलगू ।

चोट क्रमांक (iii), (iv) और (v) तिरछी दिशा में नीचे और बाहर की ओर स्थित थीं और एक के नीचे एक थीं; ये निशान ऊपर वर्णित अनुसार भूरे रंग के चर्मपत्र जैसे दिख रहे थे।

vi. बाएं हंसली के नीचे कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित 1X0.2 सेमी नीलगू।

vii. बाईं भुजा की बाहरी सतह पर कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित 3X1 सेमी नीलगू।

viii. बाईं कोहनी के 1 सेमी ऊपर 2X2 सेमी नीलगू।

ix. चोट क्रमांक (viii) के 1 सेमी मध्य में कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित 0.5X0.2 सेमी नीलगू।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मृत्यु उपरांत जलने की चोटें:-

i. दाहिनी उंगली की मध्य सतह पर 1X0.5 सेमी।

ii. दाहिनी अनामिका उंगली के हथेली वाले भाग पर 1X0.5 सेमी।

iii. दाहिने अंगूठे की ऊपरी सतह पर प्रथम फालेंजेस पर 1X.05 सेमी।

iv. बाईं कनिष्ठा उंगली की मध्य सतह पर 1X0.5 सेमी।

v. बाईं तर्जनी उंगली के हथेली वाले भाग पर 1X3.3 सेमी।

vi. बाएं अंगूठे के आधार पर 0.5X0.5 सेमी।

उन्होंने यह अभिमत दिया कि मृत्यु का स्वरूप गला घोंटने के कारण श्वासावरोध था और मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी। अपीलार्थी को भी चिकित्सीय परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, साजा भेजा गया था। डॉ. सुनील सिंह (अ.सा.-12) ने उसका परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-16) दी, जिसमें उन्होंने बाएं अग्रबाहु के जोड़ पर 2 खरोंचें और गर्दन पर खरोंच पाई। चोटें प्रकृति में साधारण थीं और कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित थीं। चोटों की अवधि 24 से 36 घंटों के भीतर थी।

आगे की विवेचना में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलार्थी का मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी-5) दर्ज किया गया और उसके बताए अनुसार, प्रदर्श पी-6 के माध्यम से रस्सी और पॉलिएस्टर साड़ी जब्त की गई। प्रदर्श पी-13 के माध्यम से स्टील का टिफिन-बॉक्स और गिलास जब्त किए गए। फटी हुई कमीज, आटे का घोल और आटे के घोल से सनी मिट्टी प्रदर्श पी-14 के माध्यम से जब्त की गई। अन्वेषण अधिकारी द्वारा घटना स्थल का नक्शा (प्रदर्श पी-11) तैयार किया गया। एक अन्य नज़री नक्शा (प्रदर्श पी-12) पटवारी सुरेश चंद्र यादव (अ.सा.-10) द्वारा तैयार किया गया। थाना साजा में नियमित प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-17) और नियमित मर्ग (प्रदर्श पी-18) दर्ज किए गए।

विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बेमेतरा के न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, दुर्ग को उपार्पित कर दिया, जहाँ से इसे हस्तांतरण पर अपर सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा, जिला दुर्ग को प्राप्त हुआ, जिन्होंने विचारण का संचालन किया और अपीलार्थी को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती सविता तिवारी ने तर्क दिया कि 'अंतिम बार साथ देखे जाने' के साक्ष्य के आधार पर दर्ज की गई दोषसिद्धि का निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि घटना के समय अपीलार्थी घर में मौजूद नहीं था, इसलिए वह मृतिका की मृत्यु के लिए उत्तरदायी नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य निर्णायक नहीं हैं और यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि प्रबल संदेह, प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता; अतः, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कायम रखने योग्य नहीं है और अपीलार्थी दोषमुक्त होने का पात्र है।

4. राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री राजेंद्र त्रिपाठी ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा सत्र प्रकरण क्रमांक 4/2006 के अभिलेख का अवलोकन किया है। यह निर्विवाद है कि घटना का कोई चक्षुदर्शी नहीं है और अभियोजन का मामला पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

6. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, अभियोजन को विश्वसनीय और ठोस साक्ष्यों के माध्यम से उन सभी अभियोगात्मक परिस्थितियों को सिद्ध करना चाहिए जिनसे अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है। यह भी सर्वविदित है कि संदेह चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, वह प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता, और न्यायालय को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराने में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. **जगरूप सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 2012 एससी 2600** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया की:

"13. **शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य**[1] में, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पाँच स्वर्णिम सिद्धांत निर्धारित किए हैं जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले के संबंध में "पंचशील" का निर्माण करते हैं। **शिवाजी साहेबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य**[2] के निर्णय का संदर्भ देते हुए यह राय व्यक्त की गई थी कि यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने से पूर्व अभियुक्त 'अवश्य' दोषी होना चाहिए, न कि केवल 'हो सकता है' कि वह दोषी हो; और 'हो सकता है' तथा 'अवश्य' के बीच की मानसिक दूरी लंबी होती है जो अनिश्चित अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से विभाजित करती है। इसके पश्चात, पीठ ने यह निर्धारित किया कि स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात, उन्हें अभियुक्त के दोषी होने के अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना द्वारा समझाया नहीं जा सकेगा; वे परिस्थितियाँ निर्णयात्मक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए; उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर प्रत्येक

1 AIR 1984 SC 1622

2 AIR 1973 SC 2622: (1973) 2 SCC 793

संभव परिकल्पना को अपवर्जित करना चाहिए; और साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न रहे और यह दर्शाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

14.**पाडला वीरा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य** [3] में, इस न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो निम्नलिखित परीक्षणों की संतुष्टि होनी चाहिए: (एससीसी पृ. 710-11, कंडिका 10):

"(1) वे परिस्थितियाँ, जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, ठोस और दृढ़ता से स्थापित होनी चाहिए;

(2) वे परिस्थितियाँ निश्चित प्रवृत्ति वाली होनी चाहिए जो अचूक रूप से अभियुक्त के दोष की ओर संकेत करती हों;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) परिस्थितियाँ, संचयी रूप से, एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला का निर्माण करनी चाहिए जिससे इस निष्कर्ष से बचने का कोई मार्ग न रहे कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया है और किसी अन्य द्वारा नहीं; तथा

(4) दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होने चाहिए और अभियुक्त के दोष के अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होने चाहिए, और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के दोष के अनुरूप होना चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषता के प्रतिकूल होना चाहिए।"

समान विचार **रामरेड्डी राजेश खन्ना रेड्डी एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य** [4] के मामले में दोहराया गया है।

15. **बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य** [5] के मामले में यह निर्धारित किया गया है कि वे परिस्थितियाँ जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूर्णतः सिद्ध होनी चाहिए और उन

परिस्थितियों की प्रकृति ऐसी निर्णायक होनी चाहिए जो अभियुक्त को अपराध से जोड़ती हो। घटनाक्रम की श्रृंखला की सभी कड़ियों को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित किया जाना चाहिए और स्थापित परिस्थितियाँ केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए तथा उसकी निर्दोषता के पूर्णतः प्रतिकूल होनी चाहिए। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, न्यायालय को इस खतरे से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए कि कहीं संदेह कानूनी प्रमाण का स्थान न ले ले, और भावनात्मक विचारों से प्रभावित होने के खतरे से बचने के लिए भी सावधान रहना चाहिए, चाहे वे विचार कितने ही प्रबल क्यों न हों, वे प्रमाण का स्थान नहीं ले सकते।

---

[3]1989 Supp (2) SCC 706

[4](2006) 10 SCC 172

[5]AIR 1996 SC 607

16. **हरिश्चंद्र लाडकू थांगे बनाम महाराष्ट्र राज्य**[3] के मामले में, परिस्थितिजन्य साक्ष्य से निकाले जाने वाले निष्कर्षों की वैधता पर निपटारा करते हुए इस बात पर बल दिया गया है कि जहाँ कोई मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर टिका होता है, वहाँ दोष का निष्कर्ष तभी उचित ठहराया जा सकता है जब सभी अभियोगात्मक तथ्य और परिस्थितियाँ अभियुक्त की निर्दोषता या किसी अन्य व्यक्ति के दोष के प्रतिकूल पाई जाएँ, और इसके अतिरिक्त वे परिस्थितियाँ जिनसे अभियुक्त के दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध होनी चाहिए। उन्हें उन मुख्य तथ्यों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ दिखाया जाना चाहिए जिनका उन परिस्थितियों से अनुमान लगाया जाना है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव** के मामले में इस बात पर जोर दिया गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय सावधानी बरतना न्यायालय का कर्तव्य है। यदि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य उचित रूप से दो निष्कर्ष निकालने में सक्षम हैं, तो वह निष्कर्ष जो अभियुक्त के पक्ष में हो, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। उसके अतिरिक्त, जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है उन्हें स्थापित किया

3[6]AIR 2007 SC 2957

[7] AIR 1992 SCW 640

[8] AIR 2007 SC 1218

जाना चाहिए और स्थापित तथ्यों का संचयी प्रभाव केवल इसी एकल परिकल्पना की ओर ले जाना चाहिए कि अभियुक्त दोषी है।

18. **राम सिंह बनाम सोनिया एवं अन्य** [8] के मामले में, परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित स्थापित प्रमाणों का संदर्भ देते हुए, इस न्यायालय ने न्यायालय द्वारा बरती जाने वाली सावधानी के सिद्धांतों को दोहराया। इसमें यह कहा गया है कि मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर मामले में, हमेशा यह खतरा रहता है कि अटकलें या संदेह कानूनी प्रमाण का स्थान ले सकते हैं। न्यायालय को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि घटनाक्रम की श्रृंखला की विभिन्न परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से स्थापित की गई हैं और ऐसी पूर्ण श्रृंखला अभियुक्त की निर्दोषता की किसी भी युक्तियुक्त संभावना को खारिज करने वाली होनी चाहिए। यह भी संकेत दिया गया है कि जब महत्वपूर्ण कड़ी टूट जाती है, तो परिस्थितियों की श्रृंखला खंडित हो जाती है और अन्य परिस्थितियाँ किसी भी तरह से युक्तियुक्त संदेह से परे अभियुक्त के दोष को स्थापित नहीं कर सकती हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. **उजागर सिंह बनाम पंजाब राज्य** [4] के मामले में, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मूल्यांकन से संबंधित उपरोक्त सिद्धांतों का संदर्भ देते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि "फिर भी इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि साक्ष्य से उत्पन्न होने वाले प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण है या नहीं, यह निर्भर करेगा और इसके लिए कभी भी किसी सार्वभौमिक मापदंड का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।"

8. अब, हम अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य का परीक्षण करेंगे और देखेंगे कि क्या अभियोजन उपरोक्त सिद्धांतों के अनुरूप अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने में सफल रहा है।

9. जहाँ तक इस परिस्थिति का प्रश्न है कि यह एक घर के भीतर हुई हत्या है, यह निर्विवाद है कि मृतिका का शव अपीलार्थी की आटा चक्की (घर) में पाया गया था। डॉ. सरिता मिंज (अ.सा.-14), जिन्होंने मृतिका के शव का परीक्षण किया था, ने साक्ष्य दिया कि मृतिका के शरीर पर लगभग 8 चोटें पाई गईं। उन्होंने आगे कथन दिया कि थायराइड कार्टिलेज और

4(2007) 13 SCC 90

मैंडिबल के दाहिने हिस्से पर नीलगू निशान मौजूद थे। उन्होंने यह भी बताया कि चोट क्रमांक 3, 4 और 5 उंगलियों द्वारा कारित प्रतीत हो रही थीं। उन्होंने आगे कथन दिया कि मृतिका के शव पर मृत्यु उपरांत जलने की चोटें भी मौजूद थीं। डॉ. सरिता मिंज (अ.सा.-14) के साक्ष्य के अवलोकन से यह स्थापित होता है कि मृतिका की मृत्यु प्रकृति में मानववध थी।

10. लखन सिंह (अ.सा.-2), तिलक (अ.सा.-3), दरबार सिंह (अ.सा.-4), भरत सतनामी (अ.सा.-6) और लक्ष्मण (अ.सा.-9) ने कथन दिया कि मृतिका अपीलार्थी की पत्नी थी। उन्होंने आगे कथन दिया कि मृतिका का शव अपीलार्थी की आटा चक्की (जो अपीलार्थी के घर में स्थित है) में मृत अवस्था में पड़ा था। लक्ष्मण (अ.सा.-9) ने कथन दिया कि मृतिका के हाथ में बिजली का तार लिपटा हुआ था। तिलक (अ.सा.-3) ने कथन दिया कि अपीलार्थी के घर की छत पर कटोरा और गिलास रखे हुए थे, जिनमें कुछ सफेद घोल था जिसका पानी सूख चुका था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. भरत सिंह राजपूत (अ.सा.-5) ने कथन दिया कि अपीलार्थी और मृतिका के बीच कई बार झगड़े होते थे और अपीलार्थी मृतिका के साथ मारपीट करता था। घटना की तिथि से 1 माह पूर्व, अपीलार्थी ने मृतिका के साथ मारपीट की थी। मृतिका उसके घर आई थी, जिसे वह दरबार सिंह (अ.सा.-4) के घर ले गया था। दरबार सिंह (अ.सा.-4) ने कथन दिया कि मृतिका उसके घर आई थी और कहा था कि वह अपने मायके जाएगी। उसने राजनांदगांव में रह रहे अपीलार्थी के पिता खेदुसिंह को सूचित किया। उसने आगे कथन दिया कि खेदुसिंह उसके घर आए और मृतिका को उसके मायके ले गए।

12. अर्जुन सिंह (अ.सा.-7) ने कथन दिया कि मृतिका उनकी पुत्री थी। अपने कथन की तिथि से 4 वर्ष पूर्व, अपीलार्थी मृतिका के साथ उनके घर आया था और संपत्ति के विभाजन की मांग की थी। उन्होंने आगे कथन दिया कि उन्होंने अपीलार्थी से कहा था कि उनके 4 पुत्र और 7 पुत्रियाँ हैं और उन्होंने संपत्ति में किसी को भी कोई हिस्सा नहीं दिया है। अतः, वे उसे संपत्ति में कोई भी हिस्सा देने में असमर्थ थे। उन्होंने आगे कथन दिया कि भादो के महीने में, अपीलार्थी के पिता खेदुसिंह मृतिका को अपने घर ले गए थे। उन्होंने आगे कथन दिया कि अपीलार्थी मृतिका को वापस लेने आया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने आगे कथन दिया कि अपीलार्थी कुछ दिनों बाद पुनः मृतिका को वापस लेने आया, लेकिन उन्होंने

फिर से मना कर दिया। इस पर, अपीलार्थी ने धमकी दी कि यदि मृतिका अपने ससुराल वापस नहीं गई, तो वह अपने बच्चों को जहर देकर मार डालेगा। इसके पश्चात, मृतिका अपीलार्थी के साथ उसके घर चली गई। अपीलार्थी के घर जाने के 8 दिनों बाद, उन्हें मृतिका की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। उन्होंने आगे कथन दिया कि उन्होंने मृतिका का शव देखा था। मृतिका की गर्दन पर एक निशान मौजूद था और दोनों हथेलियों पर बिजली के झटके के निशान मौजूद थे।

13. पटवारी सुरेश चंद्र यादव (अ.सा.-10) ने साक्ष्य दिया कि उन्होंने घटना स्थल का नक्शा (प्रदर्श पी-12) तैयार किया था। प्रदर्श पी-12 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि घटना स्थल अपीलार्थी की आटा चक्की थी जो अपीलार्थी के घर में स्थित थी। ए.एस.आई. शिवशंकर सिंह (अ.सा.-13) ने कथन दिया कि उन्होंने भी घटना स्थल का नक्शा (प्रदर्श पी-11) तैयार किया था। प्रदर्श पी-11 के अवलोकन से भी यह प्रतीत होता है कि घटना स्थल अपीलार्थी की आटा चक्की थी जो अपीलार्थी के घर में स्थित थी। शव-पंचनामा (प्रदर्श पी-2) में भी यह उल्लेख है कि मृतिका का शव अपीलार्थी की चक्की में पड़ा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. **त्रिमुख मारोति किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2006) 10 एससीसी 681** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की थी:

"14. यदि कोई अपराध किसी घर की निजता के भीतर और ऐसी परिस्थितियों में घटित होता है जहाँ हमलावरों के पास अपनी पसंद के समय और परिस्थितियों में अपराध की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का पूरा अवसर होता है, तो अभियोजन के लिए अभियुक्त के दोष को स्थापित करने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन होगा यदि न्यायालयों द्वारा ऊपर बताए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सख्त सिद्धांत पर ही जोर दिया जाता है। एक न्यायाधीश किसी आपराधिक प्रकरण की अध्यक्षता केवल यह देखने के लिए नहीं करता कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित न किया जाए। एक न्यायाधीश का यह भी कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कोई अपराधी बच न पाए। दोनों ही सार्वजनिक कर्तव्य हैं। (देखें **स्टर्लिंग बनाम डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रॉसिक्यूशन** 1—अरिजीत पसायत, न्यायाधीश. द्वारा **पंजाब राज्य बनाम करनैल सिंह** 2 में अनुमोदन के साथ उद्धृत)। कानून अभियोजन पर ऐसे चरित्र के साक्ष्य प्रस्तुत करने का कर्तव्य नहीं

डालता जिसे प्रस्तुत करना लगभग असंभव हो या किसी भी स्थिति में अत्यंत कठिन हो। अभियोजन का कर्तव्य ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करना है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करने योग्य हों। यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को ध्यान में रखना आवश्यक है जो यह कहती है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में हो, तो उस तथ्य को सिद्ध करने का भार उसी पर होता है। ....."

15.जहाँ हत्या जैसा अपराध घर के भीतर गोपनीयता में किया जाता है, वहाँ मामला स्थापित करने का प्रारंभिक भार निस्संदेह अभियोजन पर होगा, लेकिन आरोप सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति और मात्रा वैसी नहीं हो सकती जैसा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अन्य मामलों में आवश्यक होती है। यह भार तुलनात्मक रूप से हल्के स्वभाव का होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के परिप्रेक्ष्य में, घर के निवासियों पर एक सुसंगत स्पष्टीकरण देने का तदनुरूपी भार होगा कि अपराध कैसे किया गया था। घर के निवासी केवल चुप रहकर और इस कल्पित आधार पर कोई स्पष्टीकरण न देकर नहीं बच सकते कि अपना मामला स्थापित करने का भार पूरी तरह से अभियोजन पर है और अभियुक्त पर कोई स्पष्टीकरण देने का कोई कर्तव्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. **राजस्थान राज्य बनाम काशीराम, (2006) 12 एससीसी 254** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की थी:

"19. .....साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत क्या कोई अनुमान निकाला जाना चाहिए, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका निर्धारण सिद्ध तथ्यों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। यह अंततः साक्ष्य के विवेचन का मामला है और इसलिए, प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों पर आधारित होना चाहिए।

23.....यह सिद्धांत सुस्थापित है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधान स्वयं स्पष्ट और सुस्पष्ट रूप से यह निर्धारित करते हैं कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में होता है, तो उस तथ्य को सिद्ध करने का भार उसी पर होता है। इस प्रकार, यदि किसी व्यक्ति को मृतिका के साथ अंतिम बार देखा जाता है, तो उसे यह स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वह कैसे और कब अलग हुआ। उसे ऐसा स्पष्टीकरण देना चाहिए जो न्यायालय को संभाव्य और संतोषजनक प्रतीत हो। यदि वह ऐसा करता है, तो

उसे अपने भार का निर्वहन करने वाला माना जाना चाहिए। यदि वह अपने विशेष ज्ञान के तथ्यों के आधार पर स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 द्वारा उस पर डाले गए भार का निर्वहन करने में विफल रहता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, यदि अभियुक्त उस पर डाले गए भार के निर्वहन में कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो वह स्वतः ही उसके विरुद्ध सिद्ध परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी प्रदान करता है। धारा 106 किसी आपराधिक विचारण में प्रमाण के भार को स्थानांतरित नहीं करती है, जो हमेशा अभियोजन पर होता है। यह यह नियम निर्धारित करती है कि जब अभियुक्त उन तथ्यों पर कोई प्रकाश नहीं डालता जो विशेष रूप से उसके ज्ञान में हैं और जो उसकी निर्दोषता के अनुकूल किसी भी सिद्धांत या परिकल्पना का समर्थन कर सकते थे, तो न्यायालय उसके द्वारा किसी भी स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करने में विफलता को एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में मान सकता है जो श्रृंखला को पूर्ण करती है। ....."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इन सिद्धांतों को पुनः राजस्थान राज्य बनाम पार्थू, एआईआर 2008 एस.सी. 10 के मामले में दोहराया गया है।

16. वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि घटना के समय अपीलार्थी घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। वह ग्राम देवकर गया हुआ था और लगभग रात 8-8:30 बजे वापस लौटा। उसका घर अंदर से बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से नहीं खोला गया। वह दीवार फाँदकर अपने घर में घुसा। उसने अपनी पत्नी (मृतका) की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। वह आटा चक्की पर गया, जहाँ उसने देखा कि मृतका मृत पड़ी थी।

17. दरबार सिंह (अ.सा.-4) ने यह बयान दिया कि अपीलार्थी लगभग रात 8 बजे देवकर से वापस आया। अपीलार्थी ने कोटवार लक्ष्मण (अ.सा.-9) को बताया कि उसकी पत्नी (मृतका) आटा चक्की में मृत पड़ी है। भरत सिंह राजपूत (अ.सा.-5) ने भी यह बयान दिया कि अपीलार्थी देवकर से वापस आया था। अपीलार्थी अपने घर के दरवाजे पर चिल्लाया कि मृतका मृत पड़ी है।

18. कामता प्रसाद (ब.सा.-1) ने बयान दिया कि घटना की तारीख को वह अपीलार्थी के साथ मोटरसाइकिल पर देवकर गया था, जहाँ से वे लगभग रात 8 बजे वापस लौटे। दिनेश सिंह (ब.सा.-2) ने बयान दिया कि उसने अपीलार्थी और कामता प्रसाद (ब.सा.-1) को तालाब के पास देखा था।

19. शुभम (अ.सा.-8), जो अपीलार्थी और मृतका का पुत्र है, ने कथन दिया कि वे 4 भाई-बहन हैं। वे अपने स्कूल से लगभग शाम 4 बजे लौटे थे। वे खेलने चले गए और लगभग शाम 6 बजे अपने घर लौटे। उसके बाद, मृतका ने उनके लिए खाना बनाया। उन्होंने रात का खाना खाया और सोने के लिए बिस्तर पर चले गए। शुभम (अ.सा.-8) के साक्ष्य को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग रात 8-8:30 बजे, वह और उसके भाई-बहन अपने घर पर थे। उसकी उम्र लगभग 11 वर्ष है। यदि अपीलार्थी ने दरवाजा खटखटाया होता, तो शुभम (अ.सा.-8) उसे खोल देता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. वे अभियोगात्मक परिस्थितियाँ, जो अपीलार्थी के दोष की ओर इशारा करती हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलार्थी के समक्ष रखी गईं।

21. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने परीक्षण में अपीलार्थी द्वारा लिया गया बचाव निम्नानुसार है:

“मै निर्दोष हूं। मै शाम 4 बजे देवकर गया था। रात मे साढ़े आठ पौने नौ बजे वापस आया। मेरे साथ कामता व दिनेश भी थे। घर का दरवाजा खटखटाया, कोई नही खोला तब मै दीवाल कूदकर अंदर गया। पत्नि को खोजा नही मिली तब मील घर जाकर देखा तो पत्नि मरी पडी थी।"

22. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त का कथन दर्ज करने का उद्देश्य अभियुक्त के विरुद्ध आने वाले सभी अभियोगात्मक साक्ष्यों को उसके समक्ष रखता है, ताकि उसे अभियोजन के साक्ष्य में उसके विरुद्ध प्रकट होने वाली ऐसी अभियोगात्मक परिस्थितियों का स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान किया जा सके। साथ ही, इसका उद्देश्य उसे अपराध में उसकी संलिप्तता या अन्यथा के संबंध में, यदि वह चाहे तो, अपना स्वयं का संस्करण या कारण प्रस्तुत करने की अनुमति देना भी है।

23. अपीलार्थी का बचाव यह है कि वह घर में उपस्थित नहीं था और वह देवकर गया हुआ था। दिनेश सिंह (ब.सा.-2) के साक्ष्य को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी लगभग रात 8 बजे देवकर से लौटा था। डॉ. सरिता मिंज (अ.सा.-14) ने बयान दिया कि उन्होंने दिनांक 02-10-2005 को लगभग शाम 4 बजे मृतका के शव का पोस्टमार्टम परीक्षण किया था। उन्होंने आगे बयान दिया कि उन्हें मृतका के शरीर पर उपरोक्त मृत्यु-पूर्व चोटें मिलीं। उन्होंने आगे यह भी बयान दिया कि मृत्यु पोस्टमार्टम परीक्षण से 24 से 30 घंटे पूर्व हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि मृतका के शरीर पर मृत्यु-पश्चात जलने की चोटें आई थीं।

24. ए.एस.आई. शिवशंकर सिंह (अ.सा.-13) ने बयान दिया कि उन्होंने अपीलार्थी को चिकित्सीय परीक्षण के लिए सी.एच.सी., साजा भेजा था। डॉ. सुनील सिंह (अ.सा.-12) ने बयान दिया कि उन्होंने अपीलार्थी का परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट (प्र.पी.-16) दी, जिसमें उन्हें बाएं अग्रबाहु के जोड़ पर 2 खरोंचें और गर्दन पर खरोंच मिली। चोटें साधारण प्रकृति की थीं और किसी कठोर एवं कुंद वस्तु के कारण आई थीं। चोटों की अवधि 24 से 36 घंटों के भीतर थी। मृतका की मृत्यु की अवधि शव परीक्षण से 24 से 30 घंटे पूर्व थी और अपीलार्थी की चोटों की अवधि 24 से 36 घंटे के भीतर थी। ऐसा प्रतीत होता है कि मृतका की मृत्यु का समय और अपीलार्थी को आई चोटों का समय समान है। अपीलार्थी ने अपने शरीर पर आई चोटों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. ए.एस.आई. शिवशंकर सिंह (अ.सा.-13) ने कथन दिया कि दिनांक 02-10-2005 को तहसीलदार, साजा की उपस्थिति में उनके द्वारा मृत्यु समीक्षा (प्र.पी.-2) तैयार किया गया था। उन्होंने आगे बयान दिया कि उन्होंने घटना स्थल का नक्शा (प्र.पी.-10) तैयार किया था।

26. मृतका की मृत्यु गला घोंटने के कारण हुई थी। मृतका अपीलार्थी की आटा चक्की में पड़ी थी। अपीलार्थी के अनुसार, उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन वह अंदर से नहीं खोला गया। वह दीवार कूदकर अपने घर में दाखिल हुआ। उसने अपनी पत्नी (मृतका) की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। वह आटा चक्की पर गया, जहाँ उसने देखा कि मृतका मृत पड़ी थी। विवेचन करने पर, हम पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा लिया गया अन्यत्र उपस्थिति का

बचाव विश्वसनीय नहीं है और अपीलार्थी अपना अन्यत्र उपस्थिति का बचाव सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा है।

27. भारत सिंह राजपूत (अ.सा.-5) के साक्ष्य को देखने पर, अपीलार्थी ने मृतका के साथ मारपीट की थी। अर्जुन सिंह (अ.सा.-7) ने बयान दिया कि भादो के महीने में अपीलार्थी ने मृतका के साथ मारपीट की थी। खेडू सिंह मृतका को अर्जुन सिंह (अ.सा.-7) के घर ले गया था। अपीलार्थी मृतका को वापस लेने के लिए अर्जुन सिंह (अ.सा.-7) के घर गया था और मना करने पर उसने अपने बच्चों को जान से मारने की धमकी दी थी। मृतका और अपीलार्थी के बीच संबंध तनावपूर्ण थे। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी के पास मृतका की हत्या करने का हेतुक था। अपीलार्थी को भी चोटें आई थीं, लेकिन उसने अपने शरीर पर आई चोटों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. अपीलार्थी उचित स्पष्टीकरण देने और साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत उस पर डाले गए भार का निर्वहन करने में विफल रहा और उसने उन तथ्यों पर कोई प्रकाश नहीं डाला जो उसके ज्ञान में थे। उसने इस संबंध में कोई प्रकाश नहीं डाला है कि मृतका की हत्या कैसे हुई और उसे चोटें कैसे आईं और किन परिस्थितियों में वह घटना हुई जिसमें मृतका की मृत्यु मानव वध के रूप में हुई।

29. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमें विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए इस निष्कर्ष में कोई दोष नहीं मिलता है कि वह अपीलार्थी ही था जिसने मृतका के शरीर पर चोटें पहुँचाई थीं और मृतका की मृत्यु अपीलार्थी द्वारा कारित चोटों के कारण हुई थी।

30. अपील सारहीन है; यह खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।

हस्ताक्षरित./-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

हस्ताक्षरित./-
आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Yash Khare (Adv.)